न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2019/35 (2019/00035) जिला–नागौर

1. हणमाना राम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी तहसील डीडवाना जिला नागौर।
2. बिडढी देवी पत्नी धन्नाराम जाति जाट निवासी तहसील डीडवाना जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना।

––––प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
जिला नागौर दिनांक 07–01–2019
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2018
बउनवान सरकार बनाम अमराराम

————

उपस्थित– 1. श्री प्रशान्त सोनी अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 10–01–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी तहसीलदार, डीडवाना द्वारा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष ग्राम बेरीकंला के चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का जमाबंदी एवं नक्शे में अंकन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने हेतु आदेश दिनांक 7–1–19 पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 7–1–19 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलाथीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 7–1–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलार्थी को उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व कोई नोटिस या सूचना प्रदान नहीं की गई जिसके बाबत अपीलार्थीगण के द्वारा भी कोई सहमति प्रदान नहीं की गई जिसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कानूनी प्रावधानों को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसकी जानकारी दिनांक 25–3–2019 को पटवारी हल्का के द्वारा प्राप्त हुई जिसके बाद अपीलार्थीगण ने दिनांक 26–3–2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अभिभाषक से सम्पर्क कर जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा कारण भी नहीं दिया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील को मियाद के बिन्दु पर ही निस्तारित करते हुए अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थी अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि सरपंच ग्राम पंचायत डाबडा पंचायत समिति मौलासर के द्वारा प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को प्रस्तुत किया कि ग्राम बेरीकंला के मुवालों की ढाणी में धनबोली सड़क तक रास्ता चल रहा है उस रास्ते में खसरा नम्बर 644/174 से अमराराम के खेत से शुरू होकर खसरा नम्बर 643/174, 462/183 से खसरा नम्बर 463/183 तक रास्ता चल रहा है जो कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज

नहीं है जिसे खातेदारों की सहमति से कटाणी दर्ज करने की कार्यवाही की जावे। जिस पर तहसीलदार, डीडवाना के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. (2) राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10–8–2016 के सन्दर्भ में अपने पत्र क्रमांक रास्ता/अभियान/2018/राजस्व/एसपी–1 दिनांक 27–12–2018 के द्वारा ग्राम बेरीकंला पटवार मण्डल डाबला में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रेकार्ड में अंकन करने हेतु प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा स्वीकार कर सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश पारित कर दिये जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के द्वारा पारित निर्णय एकपक्षीय है जिसमें अपीलार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी पर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में बिना किसी मौका रिपोर्ट के आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है जबकि राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक को पटवारी हल्का के साथ मौके का सर्वे करना आवश्यक है। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ता चालू नहीं है तथा ना ही आज दिनांक तक राजस्व रेकार्ड में उसका अंकन था पड़ौसी खातेदारों ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर बिना मौका रिपोर्ट के निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–1–2019 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी तहसीलदार, डीडवाना के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10–8–2016 में जनसुविधा को देखते हुए आवागमन हेतु रास्ता दिये जाने के निर्देश है। रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगी। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। विवादित आराजियात में पुराना एवं चालू रास्ता है। अन्य किसी भी पक्षकार को उक्त आदेश से कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–01–2019 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत डाबड़ा पंचायत समिति मौलासर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना को पत्र लिखा कि ग्राम बेरीकंला के मुवालों की ढाणी में धनबोली सड़क तक रास्ता चल रहा है। इस रास्ते में खसरा नम्बर 644/174 से अमराराम के खेत से शुरूहोकर खसरा नम्बर 643/174, 462/183, से खसरा नम्बर 463/183 तक रास्ता चल रहा है जो रास्ता रेकार्ड में दर्ज नहीं है जिससे इस रास्ते पर मनरेगा कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रास्ते को खातेदारों की सहमति से राजस्व रेकार्ड में कटाणी दर्ज करने की कार्यवही की जावे जिससे मनरेगा के तहत रास्ते को चौड़ा कर ग्रेवल निर्माण कार्य किया जा सके।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के परिपत्र के परिपेक्ष में कदीमी रास्ता होने से राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार, डीडवाना द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त चालू स्थायी सार्वजनिक कदीमी रास्ता यदि कटाण घोषित किया जाता है तो भी संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा तथा उक्त रास्ते के संबंध में असहमत खातेदार का हक प्रभावित नहीं होता है व उक्त प्रस्तावित रास्ता आवागमन हेतु सुगम जनसुविधा मात्र है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एवं राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयुपर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10–8–2016 में ऐसे रास्तों को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु निर्देश जारी किये गये है, की पलना में ही विवादित आराजियत में से रास्ता दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, डीडवाना को आदेश दिये है साथ ही विवादित आराजियात संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही यथावत बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–01–2019 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–01–2019 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2018 बउनवान तहसीलदार डीडवाना बनाम अमराराम विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर